

उप जिला कलेक्टर ।  
बामन प (जिला नं० १०)

12  $\frac{3}{20}$

लकड़ी का उभय पक्ष उप०/ सायल का प्रार्थना पत्र १२  
आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मूल दावे  
के निरालास लक उभय पक्ष को पावेद किया जाता  
है। निर्णय प्रथम से लिखा जाकर शामिल  
पत्रावली किया जावे। पत्रावली फुलल सूत्रा  
देकर बाद लकड़ी का दफ्तर दारखला की  
जावे।

उप जिला कलेक्टर  
बामन प (जिला नं० १०)